

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी डी0डी0ओ0, क्षेत्रीय कार्यालय
श्रम विभाग, हरियाणा।


क्रमांक: स्था0/01/2024/2366-2420

दिनांक: 29/01/2024

विषय:- श्रम निरीक्षकों की ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि विभाग श्रम निरीक्षकों की ऑन-लाईन स्थानान्तरण नीति प्रक्रियाधीन है, जिसके लिये सभी डी0डी0ओ0 से उक्त नीति के अंतर्गत HRMS पोर्टल पर कुछ परेशानियां/दिक्कते आ रही है। जिसके लिए NIC से संपर्क करने के उपरांत उन द्वारा बताया गया है कि डी0डी0ओ0 द्वारा कर्मचारियों की सर्विस वैरीफिकेशन पूर्ण नहीं की गई है अगर किसी भी डी0डी0ओ0 को सर्विस वैरीफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एच0आर0एम0एस0 के द्वारा सर्विस बुक अनफ्रिज की प्रार्थना नोडल अधिकारी को checker-module-validate service book-request for unfreeze employees service book प्रक्रिया के माध्यम से भेजे। तब कर्मचारी की पूर्ण सर्विस वैरीफिकेशन की जा सकती है। उक्त पी0डी0एफ में दर्शायी गई कमियों को दिनांक 30.01.2024 दोपहर 12 बजे तक पूर्ण करना सुनिश्चित करे।



नोडल अधिकारी

ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति